तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज **छीतरमल किडवा बना मु. लाली देवी व अन्य** **दीवानी वाद संख्या 23/2023**	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.01.2024	वकुलाय उपस्थित। बहस दरख्वास्त सुनी गई। इस आदेशिका द्वारा अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सी. पी.सी. तथा आदेश 8 नियम 9 सीपीसी का निस्तारण किया जा रहा है। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सी.पी.सी. का निस्तारण किया जा रहा है। दौराने बहस अधिवक्ता वादी का कथन है कि प्रतिवादी सं. 1 लाली देवी पत्नी जगदीश का स्वर्गवास दिनांक 04.07.2023 को हो चुका है तथा उसके विधिक वारिसान पूर्व से ही रिकॉर्ड पर मौजूद है। इस कारण प्रतिवादी सं. 1 लाली देवी का नाम डिलिट किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा इस सम्बंध में अनापत्ति दर्शित की। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि वाद में प्रतिवादी सं. 1 का स्वर्गवास दिनांक 04.07.2023 को होना बताया है तथा उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 पूर्व से ही रिकॉर्ड पर है एवं अन्य कोई वारिस नहीं होना बताया है तथा वकील प्रतिवादी द्वारा इस सम्बंध में अनापत्ति जाहिर की है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम डिलिट किये जाने का आदेश दिया जाता है। नियमानुसार वादी संशोधित उनवान पेश करे। द्वितीय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सीपीसी के सम्बंध में दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 द्वारा पेश जवाब दावे के पैरा सं.1, 2, 3, 6 व 7 में नवीन पश्चातवर्ती कथन अभिकथित किये है। जिसके सम्बंध में जवाबुल जवाब पेश किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी द्वारा प्रस्तुत जवाबुल जवाब रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया। इसके खण्डन में दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण का यह कथन है कि प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावे में किसी भी प्रकार के गलत तथ्य अंकित नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में जवाबुल जवाब रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक सम्पत्ति के बंटवारा के विवाद है। जिसके सम्बंध में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के द्वारा जवाब दाव की पैरा सं.	

	1 में कथन किया गया कि वादी द्वारा सजरा गलत पेश किया है क्योंकि छीतरमल बचपन में मांगीलाल जी के गोद प्रथा अनुसार गोद चला गया था तथा जवाब दावे के पैरा सं. 2 में मांगीलाल जी की पुत्री भगवती देवी को पागल बताया गया है। पैरा सं. 3 में विवादित मकान में कभी भी वादी का कब्जा उपयोग उपभोग नहीं होना बताया तथा वादी के वोटर वार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड सभी मदनगंज के बने होना तथा वादी का चतुर होना एवं विवादित सम्पत्ति को हडपने का प्रयास करना बताया है। इसी प्रकार जवाब दावे में विवादित अचल सम्पत्ति वादी की पैतृक सम्पत्ति नहीं होना बताया है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत जवाबुल जवाब प्रतिवादीगण द्वारा अभिकथित तथ्यों का ही जवाब प्रस्तुत किया है एवं यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त जवाबुल जवाब रिकॉर्ड पर लिये जाने से प्रतिवादीगण को प्रज्युडिस कारित नहीं होगा एवं वाद के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत जवाबुल जवाब रिकॉर्ड पर लिया जाता है। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित उनवान व कायमी तनकीयात हेतु दिनांक 26.02.2024 को पेश हो।	